आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0...17...../17–18

राज्य बनाम 1. स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10R-1980

2. सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10AG-3073

3. 01 पुरब रूख का भूसखार करीब 12X15 का टाट फुस से बना झोपड़ी

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
12.2.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार थाना कांड संख्या–292/17 दिनांक–20.06.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन स्कॉर्पियो, सुमो गोल्ड तथा अभियुक्त का एक टाट का झोपड़ी को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सौरबाजार थाना कांड संख्या–292/17 दिनांक– 20.06.17 में प्राथमिकी अभियुक्त (1) जुकेश कुमार एवं (2) मुकेश कुमार दोनों पिता–शशिनाथ यादव सा0–पिपरा वार्ड नं0–01 पतरघट ओ0पी0, सौरबाजार थाना जिला–सहरसा के द्वारा स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10R-1980 एवं सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10AG-3073 पर अवैध देशी मसालेदार शराब एवं अवैध विदेशी शराब उक्त दोनों गाड़ी में लादकर ले जाते हुए अपने पिपरा वार्ड नं0–01 पतरघट ओ0पी0, सौरबाजार थाना के पुरब रूख के बासा एवं भुसखार के पास रंगे हाथ पकड़े गये है, तथा पुरब रूख के बासा के पास उनदोनों का भुसखार से भी अवैध देशी व विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। अतः उक्त दोनों के द्वारा अवैध देशी व विदेशी शराब की आयात निर्यात करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उक्त विदेशी एंव देशी शराब और जब्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब एवं देशी मसाललेदार शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है साथ ही शराब विक्री की राशि एवं शराब की विक्री से	

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सहरसा

12.2.18

	संबंधित डायरी भी जब्त की गयी है और घर से भी भारी मात्रा में शराब का स्टॉक बरामद किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रद्त्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उक्त स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10R-1980 एवं सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10AG-3073 दोनों गाड़ी का अभियुक्त न तो मालिक है ना चालक है। अभियुक्त को झूठा शक के आधार पर पकड़ कर गाड़ी का चालक बताकर पकड़ा गया है। जिस स्थान पर गाड़ी लगी हुई थी उसी स्थान पर अभियुक्त का घर भी है। अभियुक्त के घर से शराब बरामद नहीं हुआ है। जब्त शराब दोनों गाड़ी स्कॉर्पियो और सुमो गोल्ड से बरामद किया गया होगा भूसकार एवं टाट के घर से बरामद नहीं हुई। पूरब रूख का भूसकार करीब 12 X 15 का टाटा फूस से बना झोपड़ी से शराब बरामद की बात बतायी जा रही है। उक्त जमीन का खाता खेसरा और रकवा मेनसन नहीं है। उक्त वाहन स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10R-1980 एवं सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10AG-3073 से मसालेदार देशी एवं विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जब्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है और भूसखार में स्टॉक किया गया। विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जब्त स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10R-1980 एवं सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10AG-3073 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। मकान के संबंध में अंचलाधिकारी पतरघट एवं भवन निर्माण विभाग से मूल्याकंन कराकर प्रतिवेदन प्राप्त कर, अभिलेख उपस्थापित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। दिनांक.....22.01.18.....वास्ते सुनवाई। समाहर्त्ता, 12.01.18 सहरसा। समाहर्त्ता, 12.01.18 सहरसा।	

समाहरणालय सहरसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1211-2 / विधि, दिनांक 12-08-2017

प्रतिलिपि— अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, सहरसा एवं अंचलाधिकारी, पतरघट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।

12-08-017